मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016

क्रमांक स्था.प्रनिबो.2017 भोपाल, दिनांक

प्रति,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/धार/सिंगरौली/गुना/ग्वालियर/पीथमपुर/एसईजेड
सागर/सतना/रीवा/कटनी/शहडोल/छिन्दवाडा/जबलपुर

विषयः- मेरिज गार्डन संबंधी संस्थानों को सम्मति के दायरे में लाये जाने संबंधी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने बावत् ।

सन्दर्भः- मुख्यालय का पत्र कमांक 2952 दिनांक 10/8/2016

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से आपके कार्यक्षेत्र में आने वाले मेरिज गार्डन, होटल्ज एवं रेस्टोरेन्ट जिन्हें माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोनल बेन्च भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 21/13 (डॉ0 अलंकिता मेहरा विरूद्ध भारत संघ व अन्य) में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन संबंधी जानकारी चाही गई थी ।

दिनांक 23 अगस्त 2016 को आयोजित क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक के दौरान भी निर्देशित किया गया था कि कार्यक्षेत्र में आने वाले मेरिज गार्डन, होटल्ज एवं रेस्टोरेन्ट का एन्वेंटराईजेशन संबंधी कार्य पूर्ण कर संख्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करें ।

बोर्ड द्वारा जारी किये गये उपरोक्त निर्देशों के एक वर्ष उपरांत भी आपकी ओर से कार्यक्षेत्र के मेरिज गार्डन, होटल्ज एवं रेस्टोरेन्ट के इन्वेंटराईजेशन उपरांत संख्यात्मक जानकारी, जारी की गई सम्मति की संख्या, बिना सम्मति प्राप्त संस्थानों के विरूद्ध दायर न्यायालयीन प्रकरण, बंद करने संबंधी जारी प्रकरणों की संख्या प्रस्तुत नहीं की गई है ।

आप अवगत ही हैं कि माननीय अधिकरण द्वारा ऐसे प्रकरण जिनमें पूर्व में निर्णय पारित किये जाते हैं में कभी भी कम्पलायन्स रिपोर्ट चाही जाती है । अतः बोर्ड की ओर से इस संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी तैयार किये जाने हेतु कृपया अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित जानकारी 15 सितम्बर 2017 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

(ए0/ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव,

क्रमांक 178 स्था.प्रनिबो.2017 भोपाल, दिनांक 06 SEP 2017

प्रतिलिपिः-

1 स्टॉफ ऑफीसर, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ
2 विधि अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ
3 नोटिस बोर्ड, आर्डर बुक, आईटी शाखा, गार्ड फाईल